राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 480, 481 एवं 482/2014..... जिला : भीलवाडा.....
मैसर्स सुनील एजेन्सीज,भीलवाडा बनाम वा.क.अ., प्रतिकरापवंचन,भीलवाडा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.05.2014	**खण्डपीठ** **श्री सुनील शर्मा, सदस्य** **श्री मदन लाल, सदस्य** अपीलार्थी की ओर से श्री वी.के.पारीक, अभिभाषक एवं विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री जमील जई उपस्थित। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से ये तीनों अपीले अपीलीय अधिकारी, वाणिज्यिक कर, भीलवाडा (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी"कहा जायेगा) के द्वारा पारित संयुक्तादेश दिनांक 19.03.2014, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम,2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किया गया है, के विरूद्ध अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन,भीलवाडा (जिसे आगे 'निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 25,55, 65 एवं 61 के अन्तर्गत पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 06.02.2014 निर्धारण वर्ष 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14 के सम्बन्ध में निम्न तालिका के अनुसार कर,ब्याज एवं शास्तियों का आरोपण किया है :–	

अपील संख्या	कर	ब्याज	शास्ति	कुल राशि
480/14	3,47,791/–	93,904/–	6,95,582/–	11,37,277/–
481/14	3,39,225/–	50,884/–	6,78,450/–	10,68,559/–
482/14	39,326/–	2,360/–	78,652/–	1,20,338/–
कुल राशि	7,26,342/–	1,47,148/–	14,52,684/–	23,26,174/–

उक्त तालिका के अनुसार अपीलीय अधिकारी ने आरोपित शास्तियों पर स्थगन प्रदान करते हुए कर एवं ब्याज की वसूली पर रोक लगाने से इंकार करने के आदेश को चुनौती देते हुए आरोपित कर एवं ब्याज राशियों की वसूली स्थगित किये जाने का निवेदन किया गया है।

उभय पक्षीय की बहस सुनी तथा अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का अवलोकन किया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित संयुक्तादेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलीय अधिकारी ने कर एवं ब्याज की वसूली पर रोक नही लगाने के सम्बन्ध में अपने आदेश में कोई कारण अंकित नहीं किया है । अतः उभय पक्षीय तर्को पर विचार करने के पश्चात हस्तगत प्रकरणों में गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलीय अधिकारी के आदेशान्तर्गत उक्त तालिका के अनुसार शेष वसूली योग्य कुल कर रू. 7,26,342/– एवं शेष वसूली योग्य कुल ब्याज रू. 1,47,148/– की वसूली बाबत, अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उनके संतोष के अनुरूप समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करने की शर्त पर उक्त मांग राशियों की वसूली की कार्यवाही को तीन माह तक स्थगित रखा जाता है एवं इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

निर्णय सुनाया गया
9.5.2014
(मदन लाल)
सदस्य

(सुनील शर्मा)
सदस्य